

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक: 08/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-18(गौतम0)/

26

दिनांक: जनवरी 16 2018.

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स श्रीधरा इन्फास्ट्रेक्चर प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-02ए0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग आवासीय भवन "हैप्पी ट्रेल्स" के (टावर नं0-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, एवं 12) कुल 12 अदद टावरों की अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2017/39212/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/7950/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत भवन का अग्निशमन अधिकांश ईकोटेक-03 ग्रेटर नौएडा श्री शेषनाथ यादव से मानचित्रों का परीक्षण कराया गया तथा उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 06-1-2018 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरुण कुमार सिंह को प्रेषित की गयी जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 10-01-2018 उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ पश्चिम श्री अमन शर्मा को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 13-01-2018 मय पत्रावली इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-34,769.00 वर्ग मी0 है, जिसमें प्रस्तावित 12 टावरों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	मूलत कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी0।	ऊँचाई मी0।
01	टावर-01	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	84.45
02	टावर-02	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	84.45
03	टावर-03	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	84.45
04	टावर-04	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	84.45
05	टावर-05	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 28 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	81.40
06	टावर-06	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 28 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	81.40
07	टावर-07	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 26 तल	295.319	231.797	02 अदद 01.50/01.25	81.40
08	टावर-08	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	675.656	619.514	02 अदद 01.50/01.25	84.45
09	टावर-09	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	675.656	619.514	02 अदद 01.50/01.25	84.45
10	टावर-10	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	675.656	619.514	02 अदद 01.50/01.25	84.45
11	टावर-11	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	736.893	671.785	02 अदद 01.50/01.25	84.45
12	टावर-12	बेस0+स्टिल्ट/मूलत एवं 27 तल	736.893	671.785	02 अदद 01.50/01.25	84.45
13	कॉमर्शियल	बेस0+मूलत एवं 02 तल	498.227	497.237/245.163	01 अदद 01.50	13.05
14	कम्युनिटी	बेस0+स्टिल्ट/ग्राउंडियम एवं 01 तल	545.770	545.771/445.276	01 अदद 01.50	13.15
15	बेसमेन्ट	प्रश्नगत भवन में एकल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया-29,890.983 वर्ग मी0 प्रस्तावित है।				

भवन का अधिमोम विवरण:- प्रश्नगत भवन का अधिमोम एन0बी0सी0-2016 की आवासीय भवन श्रेणी ए0-04 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ग-ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24 मी0 रोड की चौड़ाई अंकित की गई है। जो मानकों के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में 02 प्रवेश/निकास द्वार सिनकी चौड़ाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राधिकारित है।

3-सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबैक भवन नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार है, जिनको अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु भवन को बाएँ ओर-08-06 मी0 मोटरबुल हाई मार्ग उपलब्ध रखा जाना प्रस्तावित है। जिनको सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमत्य नहीं होगी।

(अशोक कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस का प्राविधान किया गया है। तथा बेसमेंट में 02 अतिरिक्त रैम्प प्राविधानित है। तथा समस्त स्टेयरकेस एनक्लोजर सहित फायर चैक डोर एवं अन्य ओपनिंग 02 घण्टे तापरोधी क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी स्टेयर नैचुरली वेंटिलेटेड रखी जाये एवं फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकानी का प्राविधानित किया गया है। जो मानको के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें मानको के अनुसार प्राविधानित है।

1-होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, द सहायण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2-भूमिगत टैंक:- भूमिगत टैंक 250,000 दो लाख पचास हजार लीटर, क्षमता के 02 अदद नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

3-पम्पस:- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 2850 एलपीएम क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित मेन पम्प, (हाईड्रैण्टस व सिंकलर) व डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम क्षमता के 02 अदद, एवं 02 अदद जीकी पम्प 180 एलपीएम, क्षमता तथा 01 अदद अतिरिक्त कर्टेन पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

4-टेरिस टैंक:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार लीटर, एनबीसी मानको के अनुसार प्राविधानित है।

5-टेरिस पम्प:- प्रस्तावित भवन में एनबीसी मानको के अनुसार वांछनीय नहीं है।

6-वैटराईजेशन:- प्रस्तावित भवन में वैटराईजेशन सिस्टम एनबीसी मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-वार्ड हाईड्रैण्टस:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में रिंग लाइन जिस पर वार्ड हाईड्रैण्टस होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का एनबीसी एवं उसमें सन्दर्भित बीआईएस मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-आटोमेटिक सिंकलर सिस्टम:- प्रस्तावित भवन के बेसमेंट सहित सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक टावर के समस्त तलों पर आटोमेटिक सिंकलर सिस्टम एनबीसी मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी मानको के अनुसार प्राविधानित है।

10-मैन्युअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मैन्युअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी मानको के अनुसार प्राविधानित है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आईएसओ-2190 के अनुसार वांछनीय है।

12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम की व्यवस्था एनबीसी मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

13-प्रेशराईजेशन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के स्टेयरकेस को नैचुरली वेंटिलेटेड रखा जाना अनिवार्य है।

14-कम्पार्टमेंटेशन:- प्रस्तावित भवन में कम्पार्टमेंटेशन एनबीसी-2016 के सुसंगत मानको के अनुसार वांछनीय है।

15-पीएच सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में पीएच सिस्टम एनबीसी मानको के अनुसार वांछनीय है।

16-एग्जिट साईनेज:- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने अनिवार्य होंगे।

17-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एनबीसी-2016 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

18-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एनबीसी-2016 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स श्रीधरा इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न० जी०एच०-02एच०, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गीतमबुद्धनगर में प्रस्तावित पुष्प हाऊसिंग आवासीय भवन "हैप्पी ट्रैल्स" के (टावर नं०-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, एवं 12) कुल 12 अदद टावरों की अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
नगरपालिका (अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, पंचायत समिति,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि:- उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ पश्चिम को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गीतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नौएडा जनपद गीतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

4-मैसर्स श्रीधरा इन्फ्राटेक प्रा० लि०, द्वारा प्लॉट न० जी०एच०-02एच०, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गीतमबुद्धनगर को अनुपलनार्थ।